ihte questin of imposing further ban does not arisc. In view of the existing ban on employment of children in beedi manufacturing, no statistics of child labour is maintained.

श्रम नीति और न्यूनतम मजूरी में परिवर्तन

2249. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम नीति और न्यूनतम मजूरी में कोई मौलिक परिवर्तन करने पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हा, तो बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश के कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ महानगरों में मजदूरों की संख्या कितनी है और क्या उनको दी जाने वाली मजदूरी इन शहरों में जीवन निर्वाह व्यय के अनुरूप है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) और (ख) नया औद्योगिक विधान बनाने के प्रश्न पर अप्रैल, 1990 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 29 वें सत्र में चर्चा की गयी थी। इसकी सिफारिशों के अनुसरण में इस संबंध में विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय समिति गठित की गयी थी । समिति की रिपोर्ट भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले सत्र में रखी जानी है।

(ग) उत्तर प्रदेश के इन महानगरों में कर्मकारों की संख्या के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने 65 अनुसूचित नियोजकों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते, मूल्य सूचकांक तथा जीवन निर्वाह व्यय का ध्यान रखते हुए न्यूनतम मजूरी निर्धारित की है ।

उत्तर प्रदेश से आस-पास के राज्यों श्रमिक भेजने के काम में लगे ठेकेदार

2250. **श्री राम नरेश यादव** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बम्बई, दिल्ल और आसपास के राज्यों में श्रमिक भेज के काम में लगे ठेकेदारों का ब्यौर क्या है ;

(ख) क्या श्रमिक ठेकेदार इस संब में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्य कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने क संभावना है ;

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पव सिंह घटोवर): (क) से (ग) सूचना एक की जा रही है और सभा पटल पर र दी जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधी लाये गये बीड़ी कर्मकार

2251. **मौलाना ओबैदुल्ला खा आजमी** : क्या **प्रधान** मंत्री 16 मार्च, 199 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 580 दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बत की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कर्मचारी राज्य बीम योजना के अन्तर्गत लाये गये बीड़ी कर्मका की क्षेत्रवार संख्या कितनी-कितनी है

(ख) उन स्थानों के नाम क्या है जहां यह योजना वास्तव में लागू क जा रही है ; और

(ग) इस योजना को लागू करने के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) और (ख) मार्च, 1990 के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किये गए बीड़ी कर्मकारों की संख्या 21,725 है । क्षेत्र-वार व्याप्ति नीचे दी गई है ।

क्षेत्र का नाम	कर्मकारों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2,878
असम	18
बिहार	12,400
कर्नाटक	395
केरल	35
मध्य प्रदेश	1,092
महाराष्ट्र	4,142
राजस्थान	98
तमिलनाडु	569
उत्तर प्रदेश	42
पश्चिम बंगाल	56
कुल:	21,725

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 10 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित 589 केन्द्रों के माध्यम से लागू किया जा रहा है ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी और दांडिक कार्रवाई की जाती है ।

बीड़ी उद्योग में कार्यरत कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजूरी

2252. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या **प्रधान मंत्री** 25 मई, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1856 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के संबंध में राज्य सरकारों को जारी किये गये निर्देश बीड़ी उद्योग पर भी लागू होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन निर्देशों को विभिन्न राज्यों में बीड़ी उद्योग में लागू किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी हां :

(ख) और (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहित अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और कार्यान्वयन के लिये सम्बद्ध राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ही उपयुक्त सरकारें हैं ।

Rehabilitation of Bonded Labour

2253. SHRI JAGADISH JANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether steps have been taken for the Rehabilitation of bonded labour in different States;

(b) if so, the schemes/steps taken in Orissa and other States for the Rehabilitation of bonded labour; and

(c) the outcome of those schemes in last three years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (c) For the purpose of Rehabilitation of Bonded Labour the following steps have been taken by the Centre & State Governments:

(i) The Centre has issued a set of guidelines for the purpose of preparing village level schemes for the rehabilitation of Bonded Labour.

(ii) Since 1982-83, Annual targets are fixed for rehabilitation of Bonded Labour in various State Governments in consideration with them. The progress